

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद आर्थिक रुपरेखा का विवरण

क. 1. राज्य की अर्थव्यवस्था - एक नजर में

- 1.1 वर्ष 2006-07 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के त्वरित अनुमान उपलब्ध हो गये है। त्वरित अनुमान अनुसार वर्ष 2006-07 में जी. एस. डी. पी. में स्थिर भावों पर गत वर्ष की तुलना में 4.20 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2007-08 की पहली छमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों के समीक्षा विवरण में यह उल्लेख था कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2006-07 के प्रदेश के घरेलू उत्पाद में (वर्ष 1999-2000 के स्थिर भाव पर) पिछले वर्ष की तुलना में 5.26 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। अग्रिम अनुमानों की तुलना में त्वरित अनुमानों में गिरावट का मुख्य कारण द्वितीयक क्षेत्र में 5.81 प्रतिशत की अपेक्षा 3.29 प्रतिशत वृद्धि एवं तृतीयक क्षेत्र में 6.96 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा 5.62 प्रतिशत वृद्धि है।
- 1.2 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तन सारणी 1.1 में प्रदर्शित है। विश्लेषण के लिये वर्ष 1999-2000 को आधार बनाया गया है क्योंकि अब वह सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष है।

तालिका 1.1

अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/वर्ष	अखिल भारतीय		मध्यप्रदेश	
	1999-2000	2006-07	1999-2000	2006-07
प्राथमिक	25.00	18.40	29.75	28.12
द्वितीयक	25.30	26.60	24.23	25.06
तृतीयक	49.70	55.00	46.02	46.82

- 1.3 वर्ष 1999-2000 से 2006-07 तक अखिल भारतीय स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 25 प्रतिशत से

घटकर 18.40 प्रतिशत रह गया है तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 49.70 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश के लिये यह परिवर्तन अत्यन्त सीमित है।

1.4 वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 4.49 प्रतिशत था जो वर्ष 2006-07 में घटकर 3.38 प्रतिशत हो गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में राज्य की अर्थव्यवस्था के मुकाबले उच्च दर पर वृद्धि है। राजकोषीय नीति के माध्यम से यह प्रयास है कि लोक निवेश में वृद्धि करते हुये तथा निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुये इस अंतर को दूर किया जाये।

1.5 वर्ष 2007-08 के दौरान प्रदेश में सामान्य से लगभग 27 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। प्रदेश के पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में वर्षा का यह प्रतिशत सामान्य से अत्याधिक कम है जिसके कारण उन क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी की फसलें प्रभावित हुई है। खरीफ उत्पादन के प्रारंभिक अनुमान अनुसार प्रदेश में कुल उत्पादन सामान्य रहने का अनुमान है परन्तु अल्प वर्षा से प्रभावित पूर्वी तथा उत्तरी जिलों में यह अत्याधिक प्रभावित हुआ है। अल्प वर्षा से प्रभावित जिलों को छोड़कर रबी उत्पादन सामान्य रहने का अनुमान है।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि

2.1 मध्यप्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2006-07 की अवधि में 3.36 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्रवृत्ति रेखा आधार पर दर्ज की गई जो राष्ट्रीय औसत 6.88 प्रतिशत से काफी कम है। वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 की अवधि में अधोसंरचना अवरोधों तथा वर्ष 2000, 2001 तथा वर्ष 2002 में अल्प वर्षा के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इस अवधि में पंजीकृत विनिर्माण की वृद्धि दर ऋणात्मक रही।

- 2.2 वर्ष 2006-07 के त्वरित अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद रुपये 128201.64 करोड़ था। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.21 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2005-06 में 4.23 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2006-07 में 4.20 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की गई।
- 2.3 वर्ष 2006-07 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 2.38 प्रतिशत, 3.29 प्रतिशत एवं 5.62 प्रतिशत थी। वर्ष 2006-07 के लिये राज्य सकल घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि तालिका 2.1 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.1
स्थिर मूल्य पर (आधार वर्ष 1999-2000) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2006-07 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
कृषि (पशुपालन सहित)	22359.14	22984.17	2.80
वानिकी	1459.53	1387.99	-4.90
मछली पालन	231.83	250.69	8.14
खनिज एवं खनन	3362.03	3524.12	4.82
विनिर्माण	9843.03	10094.5	2.55
निर्माण	6421.96	6625.34	3.17
विद्युत गैस एवं जल प्रदाय	3079.86	3209.03	4.19
रेल्वे	2393.78	2564.94	7.15
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	2937.67	3141.09	6.92
संचार	2137.59	2405.72	12.54
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	13600.72	13923.09	2.37
बैंकिंग एवं बीमा	4196.6	4522.69	7.77
रीयल स्टेट	7189.97	7493.26	4.22
लोक प्रशासन	4287.7	4771.93	11.29
अन्य सेवार्य	8869.87	9355.49	5.47
योग	92371.28	96254.05	4.20

2.4 1999-2000 से 2006-07 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था की विकास दर नीचे दर्शाई गई है।

चित्र



3. राज्य की वित्तीय स्थिति

3.1 पुनरीक्षित अनुमान रुपये 1763.38 करोड़ राजस्व आधिक्य के विरुद्ध लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य रुपये 3331.68 करोड़ हुआ। इसी तरह राजकोषीय घाटे के पुनरीक्षित अनुमान रुपये 4593.23 करोड़ के विरुद्ध लेखा अनुसार राजकोषीय घाटा रुपये 2814.23 करोड़ हुआ। वर्ष 2007-08 में भी राजकोषीय संकेतको में विशेषकर राजस्व आधिक्य में उल्लेखनीय सुधार जारी है। राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान रुपये 2006.73 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान से बढ़कर रुपये 3356.37 करोड़ है। राजकोषीय घाटा के बजट अनुमान रुपये 4654.63 करोड़ की तुलना में इसका पुनरीक्षित अनुमान रुपये 4499.75 करोड़ है जो मध्य प्रदेश राज कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के लिये निश्चित सीमा के भीतर है।

3.2 वर्ष 2006-07 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 25694.28 करोड़ है जो पुनरीक्षित अनुमान रुपये 24859.86 करोड़ से अधिक है। वर्ष

2007-08 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान रुपये 29840.01 करोड़ है जो बजट अनुमान रुपये 27995.84 करोड़ से 6.58 प्रतिशत अधिक है।

- 3.3 करेत्तर राजस्व का पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2006-07 की वास्तविक प्राप्तियों से 3.72 प्रतिशत कम होने का कारण वर्ष 2005-06 के लिये 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ऋण राहत राशि रुपये 363.06 करोड़ की प्राप्ति का लेखांकन वर्ष 2006-07 में किया जाना है। इस राशि को वर्ष 2006-07 की कर भिन्न राजस्व अन्तर्गत प्राप्तियों से हटाने पर 2007-08 में कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2006-07 के वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में 11.51 प्रतिशत अधिक है।

4. संभावनाएं

- 4.1 अधोसंरचना में निरन्तर सुधार के कारण वर्ष 2004-05 से पंजीकृत विनिर्माण की विकास दर धनात्मक रही है। विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश भी आकर्षित हुआ है परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विकास दर में और सुधार की आशा है।
- 4.2 सार्वजनिक सिंचाई व्यवस्था में अधिक पूंजी निवेश तथा कृषि पंपों के लिये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति के परिणाम स्वरूप प्रदेश में कृषि की मानसून पर निर्भरता कम हो रही है। कृषि हेतु साख उपलब्धता भी तीन वर्षों में लगभग दुगनी हुई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर में सुधार की आशा है।
- 4.3 राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2006-07 में मात्र 2.20 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। राज्य के द्वारा वर्ष 2007-08 में भी राजकोषीय लक्ष्य को प्राप्त किये जाने की पूरी संभावना है।

ख. सिलेक्ट राजकोषीय सूचकों में रुख

(रुपये करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2006-07	2007-08 (पु.अ.)	2008-09 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	25694.28	29840.01	34403.78	16.13	15.29
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	18561.67	21459.06	24745.04	15.61	15.31
2.1	राज्य कर	10472.20	11885.68	14214.30	13.50	19.59
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	8089.47	9573.38	10530.74	18.34	10.00
3	करेतर राजस्व	2658.46	2559.59	3017.70	-3.72	17.90
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	4474.15	5821.36	6641.04	30.11	14.08
5	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	2408.66	4762.48	5059.01	97.72	6.23
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	38.42	42.85	297.55	11.53	594.40
7	शुद्ध लोक ऋण	2871.44	4641.33	4675.15	61.64	0.73
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	-501.20	78.30	86.31	-115.62	10.23
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	28102.94	34602.49	39462.79	23.13	14.05
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	22362.6	26483.64	31564	18.43	19.18
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	16910.51	19419.48	23245.54	14.84	19.70
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	5452.09	7064.16	8318.46	29.57	17.76
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	4028.95	4199.89	4489.67	4.24	6.90
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	6870.13	8658.68	10760.59	26.03	24.28
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	6337.02	7562.34	9550.36	19.34	26.29
10.3.4	पेंशन संदाय	1751.69	1999.05	2298.96	14.12	15.00
11	पूंजीगत व्यय (11.1+11.2)	5169.94	6781.67	6099.93	31.18	-10.05
11.1	आयोजनेतर पूंजीगत व्यय	313.97	201.28	199.44	-35.89	-0.91
11.2	आयोजना पूंजीगत व्यय	4855.97	6580.39	5900.49	35.51	-10.33
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	1014.39	1117.3	1778.4	10.15	59.17
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	750.71	545.25	645.51	-27.37	18.39
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	263.68	572.05	1132.89	116.95	98.04
13	कुल व्यय	28546.93	34382.61	39442.33	20.44	14.72
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	17975.19	20166.01	24090.49	12.19	19.46
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	10571.74	14216.6	15351.84	34.48	7.99
14	राजस्व घाटा आधिक्य (1-10)	3331.68	3356.37	2839.78	0.74	-15.39
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	-2814.23	-4499.75	-4741	59.89	5.36
16	प्राथमिक घाटा (1+6)-(13-10.3.1)	1214.72	-299.86	-251.33	-124.69	-16.18

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2006-07	पुनरीक्षित अनुमान 2007-08	बजट अनुमान 2008-09	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2009-10	2010-11	2011-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.60	2.36	1.80	2.06	2.21	2.38
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.20	3.16	3.00	3.00	3.00	3.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया दायित्व	46.57	44.49	43.65	42.20	41.16	40.22

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियाँ :

(क) कर राजस्व - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय कर का हस्तांतरण सम्मिलित है। वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा रुपये 10530.74 करोड़ अनुमानित है। 12वें वित्त आयोग द्वारा इसमें प्रति वर्ष 14.50 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई थी परन्तु आयोग के अवार्ड की अवधि के प्रथम दो वर्षों में इससे उच्च वृद्धि दर अर्जित की गई है। तथापि आगामी वर्षों के लिये 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर गणना की गई है।

वर्ष 2008-09 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान रुपये 14214.30 करोड़ है, जो राजस्व संग्रहणकर्ता विभागों के आंकलन पर आधारित है तथा वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान से 21.32 प्रतिशत अधिक है। बाद के वर्षों में वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों पर 13.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान है।

(ख) करेतर राजस्व - करेतर राजस्व में राज्य करेतर राजस्व तथा केन्द्र के आयोजना तथा आयोजनेतर अनुदान आते हैं। वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व रुपये 3017.70 करोड़ अनुमानित है। इसमें विद्युत कम्पनियों से पूर्व वर्ष की देय ब्याज की वसूली भी शामिल है। वर्ष 2007-08 के लिये मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत समीक्षा विवरण में राज्य का करेतर राजस्व 5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया था। कोयला रायल्टी को आंशिक रूप से मूल्य आधारित करने के कारण राज्य के करेतर राजस्व में अब 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित की गई है।

आयोजनागत अनुदानों को 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के आधार पर रखा गया है। बारहवें वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित वर्ष 2009-10 का गैर योजनागत अनुदान के बराबर वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की गणना की गई है।

(ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2007-08 (पुनरीक्षित अनुमान) में 39.83 प्रतिशत है जो वर्ष 2011-12 तक 43.29 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 8.58 प्रतिशत है तथा वर्ष 2011-12 में इसका हिस्सा 6.28 प्रतिशत होने की संभावना है। कर राजस्व की वृद्धि राज्य के करेतर राजस्व की अपेक्षा उच्च दर से होने से इस अनुपात में कमी हो रही है।

2. पूंजीगत प्राप्तियाँ : वर्ष 2008-09 में पूंजीगत प्राप्तियां रुपये 5059.01 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान से 5.03 प्रतिशत अधिक है। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की अपेक्षा अनुसार वर्ष

2008-09 के निर्धारित राजकोषीय लक्ष्यों के आधार पर सकल ऋण निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के लिये ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा (डी. सी. आर. एफ.) की शर्तों को पूरा करने के कारण राज्य को ऋण माफी का लाभ प्राप्त हुआ है। वर्ष 2007-08 के लिये भी रुपये 363.06 करोड़ का ऋण माफ होने का आशा है। आंतरिक ऋण राजकोषीय घाटे के आधार पर आगे के वर्षों के लिये निर्धारित होगा। विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुये नये ऋणों का पोर्टफोलियो वार्षिक आधार पर तैयार किया जायेगा।

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने राज्य को योजनागत ऋण देना बंद कर दिया है। अतः केन्द्र से योजनागत ऋण एवं अग्रिम बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये ही प्राप्त होगा। वर्ष 2008-09 के लिये रुपये 1775.58 करोड़ बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होगा।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां —

घरेलू बचत कर्ताओं के लिये अल्प बचत योजनाएं अब पहले जैसी आकर्षक न होने से इन योजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध संग्रहण में कमी हुई है। राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत भी है। अतः अन्य स्रोतों से निधि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये इस स्रोत का सावधानी पूर्वक उपयोग किया जावेगा। वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान रुपये 2096 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान रुपये 538.80 करोड़ है।

(ग) उधारों तथा अग्रिमों की वसूली - 31 मार्च 2007 की स्थिति में रुपये 4773.49 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल व उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों पर है। वर्ष

2008-09 में इन कम्पनियों से रुपये 250 करोड़ की वसूली अनुमानित होने से इस मद में आगामी वर्ष के लिये बजट अनुमान रुपये 297.55 करोड़ है।

(घ) वित्तीय संस्थानों से उधार - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान रुपये 2286.34 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान अनुसार रुपये 4068.19 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2008-09 के लिये रुपये 2922.98 करोड़ की राशि अनुमानित है तथा आगे के वर्षों के लिये यह राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड, हुडको, एल. आई. सी. जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का भाग है। नाबार्ड सहायता का स्रोत अपेक्षाकृत सस्ता है, अतः राज्य द्वारा इस स्रोत के उपयोग को अधिकतम करने का प्रयास किया जावेगा।

(ङ) अन्य प्राप्तियां (शुद्ध) - भविष्य निधि आदि - राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्ध होने पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ती के लिये किया जावेगा।

(च) बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व - वर्ष 2006-07 के लेखा के अनुसार मार्च 2007 की समाप्ति पर सकल ऋण रुपये 48225.82 करोड़ है तथा मार्च 2008 तक रुपये 53,009.83 करोड़ होना अनुमानित है। वर्ष 2007-08 के लिये प्रस्तुत समीक्षा विवरण में सकल ऋण 7.5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान था। वर्ष 2008-09 के पश्चात राज कोषीय घाटे का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 3 प्रतिशत से और अधिक कम करने की आवश्यकता न होने के कारण राज कोषीय घाटे के शुद्ध रूप से बढ़ने की संभावना है। अतः वर्ष 2008-09 के पश्चात सकल ऋण 8.25 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ने का अनुमान है। प्रत्याभूति की राशि की गणना बाद के

वर्षों के लिये 8 प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की गई है। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्याभूतियां राज कोषीय घाटे की निश्चित सीमाओं के अधीन हो।

3. कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2008-09 से आयोजना राजस्व व्यय में 12 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है। 12वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आयोजनेतर राजस्व व्यय हेतु अनुदान आयोजनेतर राजस्व व्यय में शामिल है तथा ब्याज राहत को सम्मिलित करने पर इसमें 11.25 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा - राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय तथा अनुदान शामिल हैं।

- (1) **ब्याज संदाय** - वर्ष 2007-08 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 8.34 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर पूर्वानुमान **(Projections)** किये गये हैं।
- (2) **प्रमुख अनुदान (सब्सिडी)** - प्रमुख अनुदान में वृद्धि 10 प्रतिशत अनुमानित है।
- (3) **वेतन** - मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर की राशि महंगाई वेतन में परिवर्तित हो जाने के कारण वर्ष 2007-08 में वर्ष 2006-07 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 19.45 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की तुलना में राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के अन्तर की राशि समाप्त करने के कारण वर्ष 2008-09 के लिये वेतन मद में अपेक्षाकृत अधिक प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन

किया गया है। वर्ष 2009-10 में आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण उक्त वर्ष में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है परन्तु अगले वर्ष 2010-11 से इस शीर्ष के अन्तर्गत 10 प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित की गई है।

- (4) **पेंशन** - पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी उपरोक्तानुसार अंतर समाप्त होने के कारण वर्ष 2008-09 में इस मद अन्तर्गत वर्ष 2007-08 की तुलना में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण वर्ष 2009-10 में वर्ष 2008-09 की तुलना में वृद्धि 15 प्रतिशत अनुमानित है परन्तु बाद के वर्षों में इस मद में 12 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) पूंजीगत लेखा -

- (1) **उधार तथा अग्रिम** - वर्ष 2008-09 में उधार तथा अग्रिम मद अन्तर्गत बजट अनुमान में वर्ष 2007-08 की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण सहायता विद्युत पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को उपलब्ध कराये जाने के कारण है। आगामी वर्षों में इसमें 15 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
- (2) **पूंजीगत परिव्यय** - राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार आयोजना पूंजीगत व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 4.77 था। अधोसंरचना विकास में सार्वजनिक निवेश को इसी स्तर पर बनाये रखने का प्रयास होगा। पूंजीगत परिव्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

4. राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

डी. सी. आर. एफ. की मार्ग निर्देशिका के अनुसार जी. एस. डी. पी. का पूर्वानुमान 12 प्रतिशत की वृद्धि दर मान कर किया जाना चाहिये। वर्ष 2006-07 के त्वरित अनुमान अनुसार उक्त वर्ष के लिये यह वृद्धि दर 10.21 प्रतिशत थी। अतः वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिये 11 प्रतिशत वृद्धि दर तथा तत्पश्चात् 12 प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर आगामी वर्षों के लिये जी.एस.डी.पी. का पूर्वानुमान किया गया है।

(ग) संवहनीयता का निर्धारण :

- (1) सामान्यतः प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय में और विशिष्टतः राजस्व व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो। वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व जी.एस.डी.पी. अनुपात 15.08 प्रतिशत है तथा वर्ष 2011-12 तक इसके 16.49 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। स्वयं के कर राजस्व का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 8.35 प्रतिशत है और यह अंतिम वर्ष में 9.36 प्रतिशत पहुंच जायेगा। चालू वर्ष के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी.एस.डी.पी. से अनुपात 6.73 प्रतिशत है और यह अंतिम वर्ष में 7.12 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 15.19 प्रतिशत था। यह वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में 13.05 प्रतिशत रहने की संभावना है एवं वर्ष 2011-12 तक यह 11.89 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 15 प्रतिशत की सीमा से काफी कम है।

वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान में कुल दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 49.03 अनुमानित था। यह अनुपात वर्ष 2008-09 में 43.65 हो जाने की संभावना है। यह अनुपात वर्ष 2011-12 तक 40.22 प्रतिशत हो जाना संभावित है।

(2) **आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान** - राज्य कर्मचारियों को देय मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई भत्ते की राशि को दिनांक 1.04.2007 से मंहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसी तरह पेंशनरों के मामले में भी मूल पेंशन एवं परिवार पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर मंहगाई राहत की राशि को मंहगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस कारण वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2006-07 की तुलना में वेतन मद में 19.45 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 14.12 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की दर में अन्तर को समाप्त करने के कारण वर्ष 2008-09 के लिये वेतन तथा पेंशन मदों में बजट अनुमान में वर्ष 2006-07 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में सामान्य से अधिक वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त राज्य शासन ने राज्य तथा उसकी संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के पुनरीक्षण के लिये राज्य वेतन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर सेवा शर्तों में संशोधन के परिणाम स्वरूप राज्य के आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि संभावित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋणों के पोर्टफोलियों के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2006-07 की तुलना में 4.24 प्रतिशत वृद्धि तथा वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में 5.56 प्रतिशत की सीमित वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में

वर्ष 2008-09 में 19.70 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 11.25 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (3) **पूंजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक अस्तियों के सृजन के लिये उपयोग** - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2005-06 में ही प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2007-08 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों के निर्माण में किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2008-09 में आयोजनान्तर्गत पूंजीगत व्यय हेतु सिंचाई, ऊर्जा एवं सड़क तथा पुल के लिए प्रावधान क्रमशः रुपये 1796.66 करोड़, रुपये 1185.96 करोड़ तथा रुपये 1656.50 करोड़ हैं।
- (4) **आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना** - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति के आधार पर (अर्थात् विगत 5 वर्ष, जिनके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं, में पेंशन भुगतान में औसत वृद्धि दर) पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

वर्ष	रु. करोड में
2002-03	1082.68
2003-04	1197.27
2004-05	1329.89
2005-06	1557.15
2006-07	1729.16
2007-08	1999.05
2008-09	2298.96
2009-10	2643.80
2010-11	2961.06
2011-12	3316.39
2012-13	3714.35
2013-14	4160.08
2014-15	4659.29
2015-16	5218.40
2016-17	5844.61

टीप:- वर्ष 2002-03 से 2006-07 के आंकड़े वास्तविक लेखा, वर्ष 2007-08 के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2008-09 के आंकड़े बजट अनुमान के आधार पर हैं।

राज्य के पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में वृद्धि के कारण वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2007-08 की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य वेतन

आयोग के गठन के कारण वर्ष 2009-10 में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि दर तथा तत्पश्चात 12 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर अनुमानित है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

- (1) **राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार** : राज्य की राजकोषीय नीति का उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को बढ़ाया जा सकता है तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने से कर उत्प्लावक्ता देखी गई है। ऋणों की अदला बदली, ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है तथा ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है। राज्य के राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में 22.89 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2006-07 की तुलना में 13.5 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में वर्ष 2007-08 में बजट अनुमान में 23.10 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2006-07 की तुलना में 14.84 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 19.70 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2008-09 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त दिया जाना है। वर्ष 2009-10 में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के कारण वेतन एवं पेंशन मद में 15 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है किन्तु कुल आयोजनेतर राजस्व व्यय को 11.25 प्रतिशत पर सीमित रखने का प्रयास किया

जाएगा। आगामी वर्षों में भी इसे इसी स्तर पर सीमित रखा जावेगा। इन राजकोषीय उपायों के कारण राज्य का राजस्व आधिक्य वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान रुपये 2006.73 करोड़ की तुलना में रुपये 3356.37 करोड़ अनुमानित है। राजकोषीय घाटा रुपये 4499.75 करोड़ तक सीमित रहने का अनुमान है। इस प्रकार सभी राजकोषीय संकेतक अधिनियम अन्तर्गत निश्चित लक्ष्य की सीमा में है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जावेगा जिसमें राजस्व आय में वृद्धि एवं आयोजनेतर राजस्व व्यय में कमी का प्रयास किया जाएगा।

(i) कर नीति : राजस्व प्राप्ति में लगातार वृद्धि किये जाने की राज्य शासन की नीति रहेगी। कर प्रणाली में सकारात्मक सुधारों के अन्तर्गत कर आधारों का विस्तार, स्वेच्छा से यथा समय कर देने की प्रवृत्ति निर्मित करने एवं कर प्रशासन का सुदृढीकरण किये जाने की राज्य शासन की नीति है। राज्य शासन, विभागों की कर संग्रहण व्यवस्था को बेहतर करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करेगा।

(ii) व्यय नीति : परिणामों के आधार पर शासन द्वारा किया गया व्यय सफलता / असफलता का परिचायक होता है। यह परिणाम एवं पारदर्शिता के मानकों पर मूल्यांकित किया जा सकता है।

(क) निर्माण विभागों के लिये नवीन आहरण सुविधा : - निर्माण विभागों के लिये 1 अप्रैल, 2007 से नवीन आहरण व्यवस्था (डब्ल्यू.डी.डी.एफ.) लागू की गई है। इससे कार्यवार बजट में उपलब्ध राशि का विवरण रहता है जिससे कार्य की मानिट्रिंग तथा वित्तीय नियंत्रण आसान होता है। इसे और अधिक सुदृढ किया जाकर अप्रैल माह में ही मैदानी स्तर पर विभिन्न

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के व्यय हेतु बजट राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

(ख) परिणामी बजट : - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किये जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इसी श्रृंखला में वर्ष 08-09 के परिणामी बजट प्रस्तुत किये जा रहे हैं। जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय परिदानों (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।

(ग) जेण्डर बजट : - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट द्वारा महिलाओं को लाभान्वित करने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सकेगा। इस क्रम में वर्ष 2007-08 में 13 विभागों के लिये पहली बार जेण्डर बजट बनाया गया था। वर्ष 2008-09 में इसकी परिधि में 21 विभागों को लिया गया है।

(घ) गैर बजटीय प्राक्कलन (Off budget estimates) : - व्यय के स्रोतों का पारदर्शी होना व्यय की सफलता को द्विगुणित कर देता है। शासन द्वारा इस पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये राज्य में चल रही परियोजनाओं में व्यय के स्रोत को दर्शाने के लिये वर्ष 2008-09 के बजट अनुमानों में गैर बजटीय प्राक्कलन को भी दर्शाये जाने का निर्णय लिया गया है।

(iii) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व : वर्ष 2005-06 में राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात राजस्व आधिक्य में धनात्मक वृद्धि देखी गई है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी आयोजना पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है। राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा (3 प्रतिशत) की वर्ष

2008-09 में प्राप्ति पश्चात इसे इसी सीमा में रखा जायेगा। अर्थ व्यवस्था में वृद्धि के परिणामस्वरूप राज्य इस सीमा के भीतर ही आयोजना पूंजी व्यय में अपेक्षित वृद्धि कर सकेगा। वर्ष 2007-08 में वर्ष 2006-07 की तुलना में आकस्मिक दायित्वों में महत्वपूर्ण कमी परिलक्षित है। भविष्य में आकस्मिक दायित्वों को नियंत्रित रखा जावेगा।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

- (i) राजस्व आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी को पर्याप्त रूप से अपनाएं जाने का निर्णय लिया गया है। स्टाम्प तथा पंजीकरण, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद एवं परिवहन में कम्प्यूटराईजेशन के कार्य की प्रगति को और अधिक सक्रिय किया जायेगा। नई सूचना तकनीक के उपयोग से कर प्रणाली का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी हो सकेगा।
- (ii) भौतिक अधोसंरचना विकास परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रयास होगा। इसके अतिरिक्त मानव संसाधनों की उत्पादकता वृद्धि हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जावेगी।
- (iii) शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासन के छः चयनित विभागों के लिये मध्यम अवधि व्यय ढांचा तैयार किया जा रहा है। साथ ही राज्य के लिये मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचा भी बनाया जा रहा है ताकि शासकीय विभागों के व्यय का उनकी प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के आधार पर युक्तियुक्तकरण करते हुये राज्य के संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके तथा राज्य के राजकोषीय अनुमानों का सटीक आंकलन करते हुए राजकोषीय लक्ष्यों के अनुरूप भविष्य के लिये राजकोषीय नीति तैयार की जा सके।

4. नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i) न्याय तथा उत्पादकता की दृष्टि से सरकार ने सरकारी कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि की है। सामाजिक क्षेत्र में राजस्व व्यय का पूरक स्वरूप विदित है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक शिक्षकों, चिकित्सकों, अर्ध चिकित्सीय कर्मचारियों की आवश्यकता है। प्रदेश में गरीबी तथा कुपोषण की उच्च दर के कारण खाद्यान्न सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसके कारण राजस्व व्यय बढ़ सकता है।
- (ii) सामान्यतः ऋण कार्यक्रम तय करते समय मुद्रा बाजार में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। ऋण नीति का उद्देश्य ऋण की औसत लागत कम करना एवं इसकी उत्पादकता को बढ़ाना है।
- (iii) कृषि विकास की दर में वृद्धि के लिये कृषि उत्पादन में लगाने वाले आदानों (इनपुट) की लागत कम करने तथा उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके कारण किसानों के लिये बिजली तथा ऋण पर अनुदान के स्तर का निर्धारण लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विवेक से लिया जायेगा।
- (iv) **नीति मूल्यांकन :** अधिनियम द्वारा वांछित सभी राजकोषीय जानकारीयों उपलब्ध कराई गई हैं। वर्ष 2006-07 के लिये निश्चित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त मान्यताओं को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्धता कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2006-07	2007-08	2008-09
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.20	3.16	3.00
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	118.39	74.59	59.90
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	2.60	2.36	1.80
4	टी.आर.आर. के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	11.86	9.70	7.20
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	46.57	44.49	43.65
6	कुल दायित्व-कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	232.39	212.17	200.39
7	कुल दायित्व-राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	570.18	532.66	485.03
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	46.83	44.88	45.03
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	183.71	150.71	128.66
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	15.68	14.07	13.05
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	24.66	25.34	27.76
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	6.82	6.70	6.68

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क. राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			बकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2006-07 (लेखा)	2007-08 (पु.अ.)	2008-09 (व.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (पु.अ.)	2008-09 (व.अ.)	2006-07 (लेखा)	2007-08 (पु.अ.)	2008-09 (व.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	1420.00	4068.19	2922.98	356.84	510.84	508.59	11309.38	14866.73	17281.12
2	केन्द्र से ऋण	431.34	870.57	1874.73	742.67	436.75	445.45	8679.70	9113.52	10542.79
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2120.93	538.80	800.00	76.18	117.26	194.72	14172.56	14594.10	15199.38
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	510.70	851.09	914.00	555.84	622.47	687.80	6184.74	6413.36	6639.57
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	500.00	2000.00	0.00	500.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	1445.14	1427.35	1532.56	1887.23	1296.55	1393.55	7879.44	8022.12	8155.92
7	अन्य जमा									
8	योग	5928.11	8256.00	10044.27	3618.76	3483.87	5230.11	48225.82	53009.83	57818.78

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		बकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)
		2006-07	2007-08	2006-07	2007-08
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.31	8.45	8.01	5.97
2	केन्द्र से ऋण	9.00	9.00	8.27	7.80
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	8.68	9.65

4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	6.70	6.66	10.99	10.12
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	7.50	7.50	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.00	8.00	8.00	8.00
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.70	8.34	8.35	7.92

^ अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई।

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओवर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2006-07	चालू वर्ष * 2007-08
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

*जैसा 31 दिसम्बर 2007 को है।

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टाक (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्रारूप - एफ - 7
(नियम 7 देखिये)
सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्टक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों* के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुमोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					अप्राप्त	अप्राप्त		अप्राप्त	अप्राप्त	
गृह विभाग (५)	74.21	1.63	0.00	0.00	1.63	
वित्त विभाग (३६)	5,88.32	2,78.79	50.00	0.00	3,28.79	
परिवहन विभाग (६)	58.56	58.56	0.00	0.00	58.56	
वन विभाग (१)	13.77	13.77	0.00	0.00	13.77	
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग (८)	18.42	18.19	0.00	0.00	18.19	
ऊर्जा विभाग (७०)	60,82.03	34,96.64	2,71.21	4,03.54	33,64.31	
सहकारिता विभाग (३६)	19,88.02	19,88.02	0.00	2,16.00	17,72.02	
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (८९)	3,68.81	3,68.81	0.00	0.00	3,68.81	
आदिम जाति कल्याण विभाग (२)	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	
आवास और पर्यावरण विभाग (३१)	5,41.07	5,41.07	0.00	0.00	5,41.07	
पशुपालन विभाग (३)	40.75	26.91	0.00	0.00	26.91	
उच्च शिक्षा विभाग (१)	13.00	10.34	0.00	0.00	10.34	
ग्रामोद्योग विभाग (७)	61.69	61.69	0.00	0.00	61.69	
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संज्यक कल्याण विभाग (७)	53.38	53.38	0.00	0.00	53.38	
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग (३)	60.00	44.54	0.00	0.00	44.54	
ग्रामीण विकास विभाग (१)	2,87.50	1,75.00	0.00	0.00	1,75.00	
वृहद योग	1,03,00.58	71,88.40	3,21.21	6,19.54			68,90.07			73.19

* वर्ष 2007-08 (पु. अ.)

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	205.31	0.00	100.00	0.00	305.31

प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां वही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां वही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग वही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	3848.55	924.95	4773.50
	स्थानीय निकायों को ऋण	733.61	36.09	769.70
	कंपनियों को ऋण	0.00	0.00	0.00
	अन्य को ऋण	3114.94	888.86	4003.80
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इनवेस्टमेंट) अंशपूंजी (शेयर) बोनस शेयर	6956.80 *	1204.91	8161.71
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान	5.57	-2.25	3.32
4	14 दिन के इंटरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	644.96	1857.35	2502.31
5	अन्य वित्तीय विनिधान	--	--	--
6	योग	11455.88	3984.96	15440.84

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

* सहकारी बैंकों द्वारा पूंजी निवृत्ति के कारण निवेश राशि को मुख्य शीर्ष 4000-01-800 में जमा करने के कारण 9.19 करोड़ रुपये की प्रोफार्मा कमी की गई है।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2006-07 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (रुपये करोड़ में)	अविवादित राशि (रुपये करोड़ में)	कुल योग (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	-	-	-
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	-	-	-
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व	79.34	37.84	117.18
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	16.55	60.63	77.18
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	538.58	48.66	587.24
0039	राज्य आबकारी	28.84	29.44	58.28
0041	यानों पर कर			
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	00.16	00.37	00.53
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	20.61	06.06	26.67
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	429.24	10.96	440.20
0700- 0701- 0702	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई मध्यम, तथा लघु सिंचाई	6.01	542.11	548.12
0406	वन तथा वन्य जीव	3.01	12.30	15.31
	योग	1122.34	748.37	1870.71

प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	6187	01.33
2.	2501 से 4300	154983	33.41
3.	4301 से 6100	146882	31.67
4.	6101 से 9700	133330	28.74
5.	9701 से 13300	14860	03.20
6.	13301 से 19300	7118	01.54
7.	19301 से अधिक	453	00.10
	योग	463813	100.00

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	1319	02.00
2.	2501 से 4300	7025	10.68
3.	4301 से 6100	13076	19.87
4.	6101 से 9700	32195	48.90
5.	9701 से 13300	8710	13.22
6.	13301 से 19300	2582	03.92
7.	19301 से अधिक	929	01.41
	योग	65836	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

1.	800 तक	162	10.41
2.	801 से 1000	410	26.35
3.	1001 से 1400	468	30.08
4.	1401 से 2000	344	22.11
5.	2001 से 3500	153	09.83
6.	3501 से 5000	15	00.96
7.	5001 से अधिक	4	00.26
	योग	1556	100.00

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	407	05.25
2.	2501 से 4300	3094	39.90
3.	4301 से 6100	1859	23.98
4.	6101 से 9700	1712	22.07
5.	9701 से 13300	531	06.85
6.	13301 से 19300	133	01.72
7.	19301 से अधिक	18	00.23
	योग	7754	100.00

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	800 तक	27	01.97
2.	801 से 1000	405	29.56
3.	1001 से 1400	194	14.16
4.	1401 से 2000	304	22.19
5.	2001 से 3500	374	27.30
6.	3501 से 5000	56	04.09
7.	5001 से अधिक	10	00.73
	योग	1370	100.00

घ विश्वविद्यालयों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	104	01.08
2.	2501 से 4300	5799	60.13
3.	4301 से 6100	1096	11.36
4.	6101 से 9700	1108	11.49
5.	9701 से 13300	851	08.82
6.	13301 से 19300	545	05.65
7.	19301 से अधिक	142	01.47
	योग	9645	100.00

**ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन
नवीन वेतनमान के आधार पर**

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	20506	29.92
2.	2501 से 4300	40185	58.64
3.	4301 से 6100	5687	08.30
4.	6101 से 9700	1815	02.65
5.	9701 से 13300	296	00.43
6.	13301 से 19300	45	00.06
7.	19301 से अधिक	00	00.00
योग		68534	100.00

**च विकास प्राधिकरणों में नियोजन
नवीन वेतनमान के आधार पर**

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	364	19.11
2.	2501 से 4300	917	48.14
3.	4301 से 6100	275	14.43
4.	6101 से 9700	227	11.91
5.	9701 से 13300	99	05.20
6.	13301 से 19300	23	01.21
7.	19301 से अधिक	00	00.00
योग		1905	100.00

**छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन
नवीन वेतनमान के आधार पर**

(31 मार्च 2007 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (रूपयों में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2500 तक	57888	51.36
2.	2501 से 4300	48407	42.95
3.	4301 से 6100	5062	04.49
4.	6101 से 9700	1144	01.01
5.	9701 से 13300	181	00.16
6.	13301 से 19300	39	00.03
7.	19301 से अधिक	00	00.00
योग		112721	100.00